

EFTA के साथ व्यापार वार्ता में डेटा वशिष्टता

स्रोत: द हट्टि

भारत ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते के लिये [यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन \(European Free Trade Association- EFTA\)](#) के साथ चल रही चर्चा में 'डेटा वशिष्टता' खंड को शामिल करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

व्यापार समझौते के तहत डेटा वशिष्टता क्या है?

- **परिचय:** डेटा वशिष्टता इस मसौदा समझौते के एक खंड से संबंधित है जो किसी दवा के परीक्षण और विकास के दौरान उत्पन्न नैदानिक परीक्षण डेटा पर न्यूनतम 6 वर्ष का प्रतर्बंध (वाणिज्य पर कानूनी प्रतर्बंध) लगाता है।
 - इस प्रकार दवाओं के जेनेरिक संस्करण का उत्पादन करने के इच्छुक निर्माताओं को या तो स्वयं ऐसा डेटा तैयार करने की आवश्यकता होगी, जो एक महंगा प्रस्ताव है या भारत में अपने संस्करण बेचने से पहले उपरोक्त नरिदष्ट अवधि तक प्रतीक्षा करना होगा।
- **भारत के जेनेरिक दवा उद्योग पर प्रभाव:** भारत का जेनेरिक दवा उद्योग विश्व स्तर पर महंगी दवाओं के कफ़ायती विकल्प प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण रहा है।
 - हालाँकि डेटा वशिष्टता लागू करने से इस उद्योग के विकास और सस्ती दवाओं की पहुँच गंभीर रूप से बाधित हो सकती है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ और अस्वीकृति:** भारत के साथ व्यापार वार्ता के दौरान यूरोपीय यूनियन (EU) और EFTA दोनों की ओर से वर्ष 2008 से डेटा वशिष्टता की मांग लगातार उठ रही है।
 - इसके बावजूद भारत ने लगातार इन अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन क्या है?

- **परिचय:** यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) आइसलैंड, लिक्टेंस्टीन, नॉर्वे और स्वट्ज़रलैंड (ये चारों यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं हैं) का अंतर-सरकारी संगठन है।
 - इसकी स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी।
 - इसका उद्देश्य अपने चार सदस्य देशों और विश्व भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिये मुक्त व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।



- **भारत और EFTA:** EFTA सदस्यों और भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार का कुल मूल्य वर्ष 2022 में 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो

